अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद न्यायालय (द्वितीय)–सह –जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1489/2026

महुआ उत्पाद थाना कांड संख्या–199/2024

उपस्थितः तरूण कुमार झा
विशेष न्यायाधीश (अनन्य विशेष मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय, द्वितीय)
–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।

अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम–2022

06-06-2026	**गोलू कुमार पिता–मनोज कुमार राय** **सा0–सहदुल्लापुर, पो0–चंदनपट्टी, थाना–सकरा, जिला–मुजफरपुर ....अभियुक्त।** **बनाम** **बिहार सरकार ....विपक्षी।** .... **उपस्थिति** अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक :– श्री रमेश कुमार। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री भोला कुमार। .... प्रस्तुत वाद में आज की तिथि आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–482 बी0एन0एस0एस0–2023 पर सुनवाई हेतु नियत है। मामले में आवेदक अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को उक्त दाखिल जमानत आवेदन पर पूर्ण रूप से सुना गया। सूचक, भगवान शर्मा प्र0स0अ0नि0, मद्य निषेध, महुआ अनुमंडल, जिला–वैशाली के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी का सारांश यह है कि दिनांक–21.12.2024 को गुप्त सूचना मिली कि पातेपुर थानांतर्गत ग्राम–धनौतिया टोला में अवैध विदेशी शराब का एक खेप चार पहिया वाहन द्वारा उतारा जाने वाला है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचक द्वारा सशस्त्र बल के साथ गस्ती एवं छापामारी के क्रम में उक्त स्थल पर पहुंचा, तो बहुआरा के तरफ से एक चार पहिया वाहन आता हुआ दिखाई दिया जिसे रूकने का इशारा किया, तो गाड़ी चालक गाड़ी को भगाने लगा, जिसे पिछा करने पर उक्त गाड़ी का चालक ग्रमा–धनौतिया टोला स्थित राजकीय उत्क्रमित विद्यालय के पास गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हो गया। जप्ती तथा तलाशी नियमों का पालन करते हुए उक्त गाड़ी निबंधन संख्या–BR01AE-1123 के डिक्की से कुल 45 लीटर देश में निर्मित अंग्रेजी शराब की	

अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद न्यायालय (द्वितीय)–सह –जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1489/2026

महुआ उत्पाद थाना कांड संख्या–199/2024

उपस्थितः तरूण कुमार झा
विशेष न्यायाधीश (अनन्य विशेष मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय, द्वितीय)
–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।

अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम–2022

लगातार 06.06.2026	बरामदगी की गई, जिसे विधिवत जप्त किया गया। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से इस वाद में फंसाया गया है; उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन कथानक मनगढ़ंत तथा काल्पनिक है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है और न ही आवेदक जप्त गाड़ी निबंधन संख्या–BR01AE-1123 का निबंधित स्वामी है। आवेदक अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसके सजग कब्जे से किसी वस्तु, शराब आदि की बरामदगी नहीं हुई है तथा उनका बरामद शराब से कोई लेना–देना नहीं है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक अभियुक्त कानून को मानने वाला व्यक्ति है तथा न्यायालय के हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए कहते है कि आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–76(2) के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना तथा वाद अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि मामले में प्राथमिकी धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधनद्ध अधिनियम–2022 के अंतर्गत दर्ज की गई है तथा आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि आवेदक कांड में जप्त गाड़ी निबंधन संख्या–BR01AE-1123 का स्वामी है, जिसकी पुष्टि आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न महुआ उत्पाद थानाध्यक्ष द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति से होती है। मामले में उक्त गाड़ी के डिक्की से कुल 45 लीटर देश में निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है तथा कांड में अनुसंधान जारी है। प्रस्तुत कांड में आवेदक अभियुक्त का इस कांड में जप्त वाहन के मालिक होने से यह प्रतीत होता है कि आवेदक का अवैध शराब के कारोबार में मिलिभगत है। अतः प्रथमदृष्टया आवेदक के विरूद्ध मामला बनता प्रतीत होता है। अग्रिम जमानत आवेदन धारा–76(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों, वाद की परिस्थितियों के कारण सम्यक् विवेचनोपरांत आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा	

अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद न्यायालय (द्वितीय)–सह –जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1489/2026

महुआ उत्पाद थाना कांड संख्या–199/2024

उपस्थितः तरूण कुमार झा
विशेष न्यायाधीश (अनन्य विशेष मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय, द्वितीय)
–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।

अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम–2022

लगातार 06.06.2026	प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। लेखापित I/c अनन्य विशेष मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय (द्वितीय) वैशाली हाजीपुर।	

अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद न्यायालय (द्वितीय)–सह –जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1489/2026

महुआ उत्पाद थाना कांड संख्या–199/2024

उपस्थितः तरूण कुमार झा
विशेष न्यायाधीश (अनन्य विशेष मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय, द्वितीय)
–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।

अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम–2022

अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद न्यायालय (द्वितीय)–सह –जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1489/2026

महुआ उत्पाद थाना कांड संख्या–199/2024

उपस्थितः तरूण कुमार झा
विशेष न्यायाधीश (अनन्य विशेष मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय, द्वितीय)
–सह–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।

अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम–2022